



संख्या / No. पेंशन प्राधि./आदेश/2018-19/ 2420

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date. 19.8.18

Transferred to PM-TS
for n.abW 8/10
AAD/PM-AP

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),

आन्ध्र प्रदेश, बैंक कास्ट्रोड,
हैदराबाद - 500004 -विषय:-रा.सि.से.(पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66,67 एवं 77 में राज्य सरकार द्वारा
किये गए संशोधनों के सम्बंध में।प्रसंग:- राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन पत्रांक एफ 12(3)
एफ.डी./रूल्स 2010 दिनांक 27.06.2018 एवं एफ 12(4) /एफ.डी./रूल्स 2008
दिनांक 27.06.2018


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
के पत्रांक प.5(239)निपेवि/नियम/2018/2252-2316 H दिनांक 29.08.2018 के पत्र एवं ज्ञापन
दिनांक 27.06.2018 की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन
भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित
करने का श्रम करे।

सलग्न:- ज्ञापन दिनांक 27.06.2018 की प्रतियां (2)

भवदीय,

वर्षा लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति



राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- प.5(239)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट-I/ 2252-2316 H

दिनांक : 29-08-2018

1. समस्त बैंक (पेंशन वितरण हेतु अधिकृत)
2. समस्त कोषाधिकारी,
3. महालेखाकार, जयपुर (राजस्थान)।

विषय:- रा. सि. से. (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66, 67 एवं 77 में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.12(3)FD/Rules/2010 एवं अधिसूचना क्रमांक F.12(4)FD/Rules/2008 दिनांक 27.06.2018 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (नियम) विभाग ने अपनी उक्त अधिसूचनाओं द्वारा रा. सि. से. (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66(1) एवं नियम 67(B) (C) (D) में परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए क्रमशः "परिवार" शब्द की परिभाषा एवं परिवार पेंशन प्राप्त करने की शर्त के "मासिक आय" संबंधी Clause में संशोधन किया है तथा साथ ही पेंशन नियम 77 के उपनियम (ii) व (iii) को विलापित किया है।

राज्यसरकार द्वारा जारी उक्त आदेशों के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं -

(1) पूर्व में अविवाहित पुत्र 25 वर्ष की आयु तक/ अविवाहित पुत्री/विधवा/तलाकशुदा/माता-पिता को रु. 6000/- से अधिक मासिक आय होने पर 'पारिवारिक' पेंशन की देयता नहीं थी। उक्त आदेशों द्वारा मासिक आय की सीमा को रु. 6000/- से बढ़ाकर रु. 9500/- कर दिया गया है।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेंशन में आय के प्रमाण पत्र में रु. 6000/- मासिक के स्थान पर तत्काल रु. 9500/- किया जाना वांछित है।

(3) साथ ही नियम 77 के उपनियम (ii) व (iii) को विलापित कर दिया गया है। पूर्व में पारिवारिक पेंशनर के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहे पति/पत्नी अगर राज्य सेवा में हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान देय नहीं था। उक्त प्रावधान विलोपित किये गये उपनियमों के अधीन थे। अब विलोपित किये जाने के कारण दिनांक 01.06.2018 से पारिवारिक पेंशनर के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहे पति/पत्नी अगर राज्य सेवा में हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन पर भी राज्य सरकार के नियमानुसार महंगाई राहत का भुगतान देय होगा।

अतः कृपया आवश्यक कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक :

क्रमांक :- प.5(239)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट-I/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय (समस्त)
2. विशेषाधिकारी, कार्यालय हाजा
3. DD, IFPMS/ACP कम्प्यूटर अनुभाग
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/संयुक्त निदेशक, समस्त PR अनुभाग
5. निजी सचिव/निजी सहायक कार्यालय हाजा

निदेशक

5633

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
RULES DIVISION**

No. F.12(3)FD/Rules/2010

Jaipur, dated : 27 JUN 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 66.- The existing sub-rule (1) of rule 66 of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(1) 'Family' for the purpose of these rules shall include the following relations of the Government servant:-

- (a) wife, in the case of a male Government servant and husband, in the case of a female Government servant;
- (b) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery;
- (c) unmarried son till he attains the age of 25 years or on earning a monthly income exceeding Rs 9500/- per month, whichever is earlier;
- (d) unmarried daughter upto the date of her marriage or earning a monthly income exceeding Rs 9500/- per month, whichever is earlier;
- (e) widowed/divorced daughter of any age upto the date of her remarriage or till the date she starts earning a monthly income exceeding Rs 9500/- per month, whichever is earlier;
- (f) parents who were wholly dependent upon the Government servant when he/she was alive provided the deceased employee had left behind neither a widow nor a child and the income of parent is not more than Rs. 9500/- per month."

Explanation:- For the purpose of this rule son/daughter shall also include legally adopted son/daughter and posthumous child of a Government servant;

Mangal

2. Amendment of rule 67.- In rule 67 of the said rules, for the existing expression "Rs. 6000/-", wherever occurring, the expression "Rs. 9,500/-" shall be substituted.

3. Amendment of rule 97.- The existing clause (b) of rule 97 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(b) For the purpose of death gratuity,

- (i) if in any particular case the service book has not been maintained properly despite the Government's order on the subject, and it is not possible for the Head of Office to accept the unverified portion of service as verified on the basis of entries in the service book, the death gratuity shall be paid on the basis of qualifying service verified and accepted by the Head of Office under clause (a), on provisional basis. The amount of death gratuity shall be the amount as indicated in the table below clause (b) of sub-rule (1) of rule 55 ; and
- (ii) final amount of the death gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service which shall be done by the Head of Office within a period of six months from the date on which the authority for the payment of provisional death gratuity was issued. The balance, if any, payable as a result of determination of the final amount of death gratuity shall be paid to the beneficiaries.

By order of the Governor,


(Manju Rajpal)

Secretary, Finance (Budget)